

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 30.10.2021

1-थाना जारचा पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ 05 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 बण्डल केबल, लोहे की तार चार लच्छी, पलास, हथौडी, छैनी, तार काटने वाला कटर, पैंचकस, रिंच व आरी बरामद।

दिनांक 29.10.2021 को थाना जारचा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी के माल के साथ 05 चोर 1.इकरार मलिक पुत्र रहीशउद्दीन मलिक निवासी मकान नं0-422, जीएफ, काशीराम कॉलोनी, घोडी बछेड़ा, दादरी, 2.प्रदीप कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी मकान नं0-एसएफ 36 काशीराम कॉलोनी, दादरी, 3. जॉनी पुत्र जनक सिंह निवासी मकान नं0-492 काशीराम कॉलोनी दादरी, 4.कलुआ उर्फ इकबाल पुत्र जुम्मा निवासी मकान नं0-जीएफ 411, काशीराम कॉलोनी दादरी, 5.अंकित उर्फ भोलू पुत्र रमेश चन्द गुर्जर उर्फ मास्टर जी निवासी गाँव बील अकबरपुर, दादरी को थाना क्षेत्र के पेरिफेरल हाईवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 बण्डल केबल, लोहे की तार चार लच्छी, पलास, हथौडी, छैनी, तार काटने वाला कटर, पैंचकस, रिंच व आरी बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.इकरार मलिक पुत्र रहीशउद्दीन मलिक निवासी मकान नं0-422, जीएफ, काशीराम कॉलोनी, घोडी बछेड़ा, दादरी।

- 2.प्रदीप कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी मकान नं0-एसएफ 36 काशीराम कॉलोनी, दादरी।
- 3.जॉनी पुत्र जनक सिंह निवासी मकान नं0-492 काशीराम कॉलोनी दादरी
- 4.कलुआ उर्फ इकबाल पुत्र जुम्मा निवासी मकान नं0-जीएफ 411, काशीराम कॉलोनी दादरी।
- 5.अंकित उर्फ भोलू पुत्र रमेश चन्द गुर्जर उर्फ मास्टर जी निवासी गाँव बील अकबरपुर, दादरी।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

अभियुक्त अंकित उर्फ भोलू

- 1.मु०अ०सं० ०३६६/२१ धारा ४१४ भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु०अ०सं० २८५/१७ धारा ३०७ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु०अ०सं० ६८०/१७ धारा ३९२ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- ४.मु०अ०सं० ४०६/१८ धारा २/३ गैंगस्टर अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त कलुआ उर्फ इकबालः

मु०अ०सं० ०३६६/२१ धारा ४१४ भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त प्रदीप कुमारः

मु०अ०सं० ०३६६/२१ धारा ४१४ भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

<u>अभियुक्त जॉनीः</u>

मु०अ०सं० ०३६६/२१ धारा ४१४ भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त इकरार मलिकः

मु०अ०सं० ०३६६/२१ धारा ४१४ भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

- 1.02 बण्डल केबल
- 2.लोहे की तार चार लच्छी
- 3.पलास, हथौडी, छैनी, तार काटने वाला कटर, पैंचकस, रिंच व आरी।



2-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 28 गाय व 26 बिछया को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.10.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 877/21 धारा 429 भादिव व 3/11 पशु क्रुरता अधि० व 3/8 गौ० हत्या निवारण अधि० में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र गिरीराज निवासी ग्राम खोदना खुर्द, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के तिलपता गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर दिनांक 22/10/2021 को घटना में प्रयुक्त 01 कीटनाशक दवाई DICHLORVOS 76 % EC NUVAN INSECTICIDE की डिब्बी बरामद की गयी है।

घटना का विवरणः

अभियुक्त वादी के यहां डेरी पर कार्य करता था वादी द्वारा अभियुक्त को काम से निकाल दिया गया था इस बात का बदला लेने के लिए अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.10.2021 को वादी ओमवीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम खोदना खुर्द, ग्रेटर नोएडा थाना सुरजपुर, गौतमबुद्धनगर की 28 गाय व 26 बिछया को ग्राम खोदना खुर्द में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी गई थी।

अभियुक्त का विवरणः

धर्मेन्द्र पुत्र गिरीराज निवासी ग्राम खोदना खुर्द, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु०अ०सं० ८७७/२१ धारा ४२९ भादवि व ३/११ पशु क्रुरता अधि० व ३/८ गौ० हत्या निवारण अधि० थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

घटना में प्रयुक्त 01 कीटनाशक दवाई DICHLORVOS 76 % EC NUVAN INSECTICIDE



3-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 80 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त टाटा 407 गाड़ी बरामद।

दिनांक 30.10.2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर 1. अजय पुत्र सन्तोष साहू निवासी ग्राम तीनदूही, थाना तीनदूही, जनपद बांदा वर्तमान निवासी अरावली आपर्टमैन्ट, बी-142, सेक्टर-52, नोएडा, 2. हीरा लाल पुत्र सुभ्रन मण्डल निवासी ग्राम दुबेपुर, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता एलआईजी फ्लैटस नं0-43 सेक्टर-99 नोएडा को थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे जीरो प्वाइन्ट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 80 पेटी अवैध शराब NIGHT BLUE METRO LIQUOR FOR SALE HARYANA ONLY (15 पेटी-प्रत्येक पेटी में 12-12 बोतले 750 ML, 65 पेटी-प्रत्येक पेटी में 48-48 पव्ये 180 ML) व शराब तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नंम्बर-यूपी 16 एटी 7163 बरामद की गई है।

अभियुक्त अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है जो हरियाणा से अंग्रेजी शराब कम दामो में खरीदकर तस्करी के लिए गाड़ी में भरकर काशीफल व अन्य सब्जियों की आड में नोएडा/ग्रेटर नोएडा व उ०प्र० के अन्य शहरों में अधिक दामों में बेचकर अवैध धन अर्जित करते है।

अभियुक्तों का विवरणः

- 1. अजय पुत्र सन्तोष साहू निवासी ग्राम तीनदूही, थाना तीनदूही जनपद बांदा वर्तमान निवासी अरावली आपर्टमैन्ट, बी-142, सेक्टर-52, नोएडा।
- 2. हीरा लाल पुत्र सुभ्रन मण्डल निवासी ग्राम दुबेपुर, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता एलआईजी फ्लैटस नं0-43 सेक्टर-99 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु०अ०सं०-1022/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 120बी भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

- 1.80 पेटी अवैध शराब NIGHT BLUE METRO LIQUOR FOR SALE HARYANA ONLY (15 पेटी-प्रत्येक पेटी में 12-12 बोतले 750 ML, 65 पेटी-प्रत्येक पेटी में 48-48 पव्वे 180 ML)
- 2.शराब तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नंम्बर- यूपी 16 एटी 7163



4-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो फेसबुक पर डालकर ब्लेकमेल करके रूपयों की मांग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.10.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-806/2021 धारा 384,504, भादिव व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त राजेश मिश्रा पुत्र बाबूराम मिश्रा निवासी बलखोरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश वर्तमान पता संजू भाटी का मकान, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को उसके वर्तमान निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरणः

वादी द्वारा तहरीर देकर अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पत्नी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो फेसबुक पर डालने व फोटो हटाने को कहने पर वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौच करने एवं हटाने के लिए 2,00,000 रुपयों की मांग करके ब्लेकमेल करने के संबन्ध में दिनांक 05.10.2021 को थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0-806/21 धारा 384,504, भादवि व 67 आईटी एक्ट बनाम राजेश मिश्रा पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त का विवरणः

राजेश मिश्रा पुत्र बाबूराम मिश्रा निवासी बलखोरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश वर्तमान पता संजू भाटी का मकान, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरणः

मु०अ०सं०-८०६/२१ धारा ३८४,५०४, भादवि व ६७ आईटी एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।



#थाना एएचटीयू टीम द्वारा थाना दादरी पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक साल से गुमशुदा/लापता बालक को सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की एएचटीयू टीम द्वारा लगातार गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 30.10.2021 को थाना एएचटीयू टीम द्वारा थाना दादरी पर पंजीकृत मु०अ०सं० 686/20 धारा 363 भादवि मे गुमशुदा/अपह्त बालक की तलाश हेतु घरौंदा बाल गृह, ए-328, गोविंदपुरम, गाजियाबाद पर जाकर बच्चों की काउंसलिंग की गयी तो वहां काउंसलिंग के दौरान एक बालक की शक्ल गुमशुदा/अपहृत बालक से मिलती जुलती पाई गयी। गुमशुदा/अपहृत बालक से बातचीत कर व बाल गृह मे मौजूद रजिस्टर का अवलोकन कर जानकारी की गई तो बालक का सम्बन्ध उपरोक्त मु०अ०सं० ६८६/२० धारा ३६३ भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर से होना पाया गया। पूछताछ के दौरान बालक द्वारा अपना नाम व माता-पिता का नाम बताया गया। उक्त संबंध में तलाश गस्ती से मिलान किया गया तो यह बालक उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित पाया गया। यह बालक दिनांक 09-10-2020 को गुम हो गया था। एएचटीयू टीम द्वारा बालक के पिता से फोन द्वारा सम्पर्क किया गया तथा वाट्सएप्प पर बालक का फ़ोटो भेजा गया तो उनके द्वारा बालक को पहचान लिया गया और बताया गया कि यही मेरा बेटा है जो करीब एक साल पहले दिनांक 09-10-2020 को दादरी क्षेत्र से गुम हो गया था। बालक के पिता को सूचना दी गई जो शैल्टर होम पर आये तथा उनको बालक से मिलवाया गया। इसके उपरांत सीडब्लूसी के समक्ष पेश कर बालक को उसके पिता के सुपुर्द किया गया। एएचटीयू टीम द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य के लिए बालक के परिजनों द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर इकाई द्वारा पुलिस परिवारों के लिए पहली बार पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर में किया गया दीपावली मेले का आयोजन।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा किया गया मेले का शुभारंभ, रंगोली व दीप प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी किया सम्मानित। दिनांक 30/10/2021 को वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की गौतमबुद्धनगर इकाई द्वारा श्रीमती आकांक्षा सिंह पत्नी पुलिस किमश्नर श्री आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस परिवारों के लिए पुलिस लाइन गौतमबुद्धनगर में दीपावली मेले का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ पुलिस किमश्नर आलोक सिंह द्वारा किया गया। मेले में पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए दीपावली पर्व से सम्बन्धित दुकानें, बच्चो के लिए झूले व विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। मेले में पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया गया, जिसमे रंगोली व दीप प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुलिस किमश्नर द्वारा पुरुस्कृत किया गया। प्रथम बार किमश्नरेट गौतमबुद्धनगर में इस प्रकार के दीपावाली मेले का आयोजन पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है।

दीपवाली मेले में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय व अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस परिवार के सदस्य व बच्चों ने आगमन कर मेले की शोभा बढ़ाई।



